January - March, 2017

Rajasthan Police Academy

Newsletter

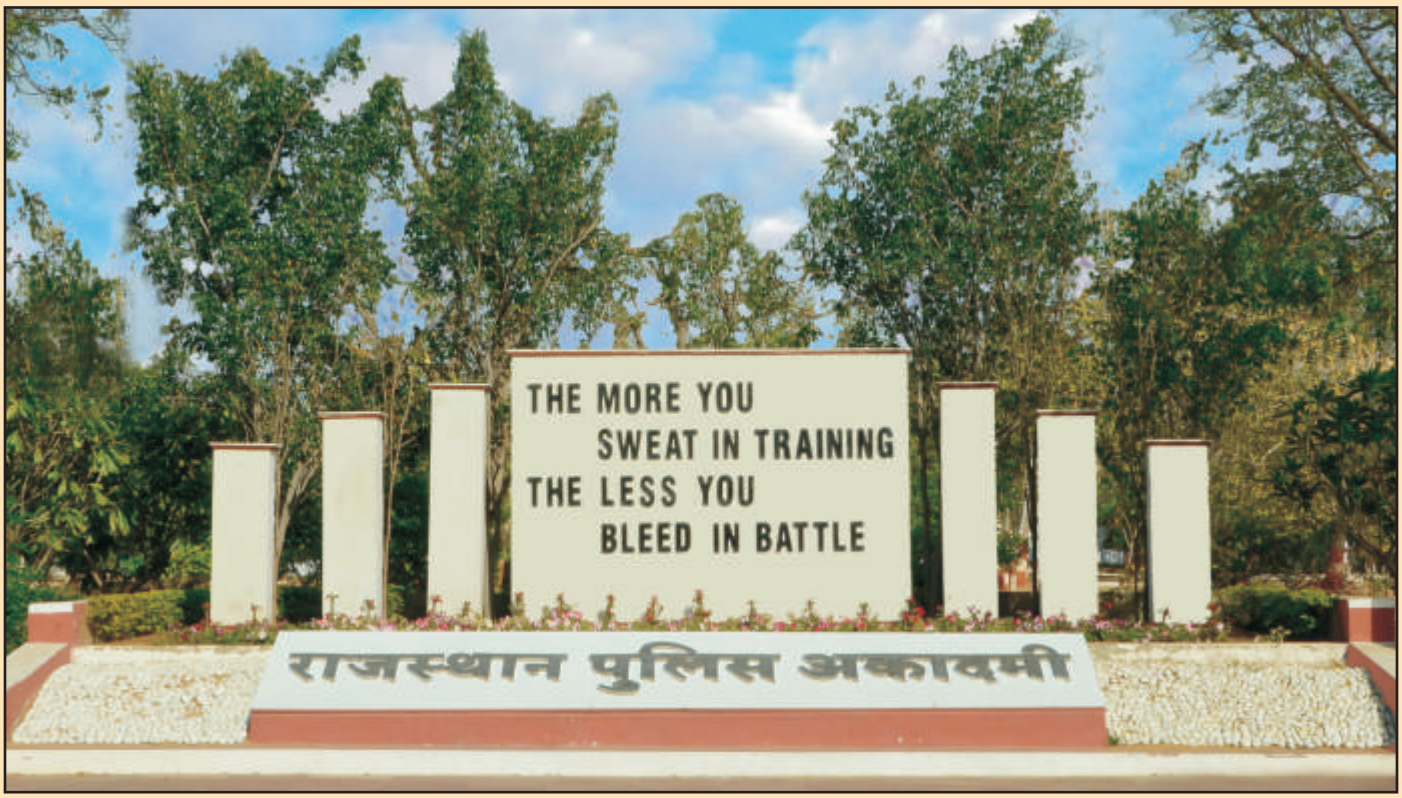

इस अंक में .....

- समारोह पूर्वक मनाया गया गणतन्त्र दिवस
- साइबर क्राइम पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मानवाधिकार पर राजस्थान पुलिस अकादमी में कार्यशालाएं
- समुदाय सम्पर्क समूह की पुलिस कार्य में भूमिका
- घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में राजस्थान पुलिस का शानदार प्रदर्शन
- जयपुर एवं कोटा मैराथन में अकादमी का शानदार प्रदर्शन

निदेशक की कलम से ...

" The more you Sweat in Training,
the less you Bleed in Battle."

Succeeding in policing and battle is all about training, preparation and putting in the efforts needed to rise above the adversities that each one of us will face during our career. If we do not properly sweat in the training of our mind, body and soul, the more failures and wounds we would see in the field. By adorning the Academy wall by this maxim, efforts have been made to focus the attention of the trainees as well as of the trainers towards the most important activity of the Academy i.e. Training.

राजस्थान पुलिस अकादमी **'मानवाधिकार संरक्षण'** के मुद्दे पर प्रशिक्षण हेतु एक नोडल एजेंसी के रुप में सामने आई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अकादमी के सहयोग से मानवाधिकार विषय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवा कर राजस्थान के पुलिस अधिकारियों को इस मुद्दे पर संवेदनशील बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम बढ़ाया है। इसी प्रकार आज की सबसे बडी चुनौती **'साइबर अपराध'** का पूर्ण दक्षता के साथ सामना करने के लिए साइबर इन्वेस्टीगेटर्स तैयार करने का कार्य भी साइबर क्राईम विषय पर आयोजित कोर्सेज के माध्यम से अकादमी द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में **नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद** व **सी–डेक, हैदराबाद** के सहयोग से भी इस विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया की **'बालिका आत्मरक्षा योजना'** के अर्न्तगत इस तिमाही में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर राजस्थान के विभिन्न जिलों की 139 महिला शारीरिक शिक्षकों व महिला शिक्षकों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षित किया गया।

गत तिमाही में राजस्थान पुलिस अकादमी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं जिनमें राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में आयोजित की गई **35वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता** में राजस्थान पुलिस की टीम नें अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए समस्त राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की टीमों में **प्रथम** स्थान प्राप्त करते हुए **'सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार'** तथा **'सर्वश्रेष्ठ होर्स'** का खिताब भी अपने नाम किया।

राजस्थान पुलिस अकादमी की कल्याणकारी योजनाओं में पुलिस अकादमी के प्रशिक्षण क्षेत्र तथा आवासीय परिसर हेतु बीसलपुर परियोजना से **40 लाख लीटर प्रतिदिन जलापूर्ति** योजना का लोकार्पण दिनांक 21 जनवरी, 2017 को माननीय गृहमंत्री महोदय द्वारा किया गया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पुलिस अकादमी की **परिवहन शाखा** को **नवीन भवन** में प्रतिस्थापित किया गया है। अकादमी के प्रथम तल पर स्थित जीर्ण–शीर्ण क्लास रूम का जीर्णोद्धार कर आधुनिक **लेक्चर थियेटर** का रूप दिया गया, जिसका शुभारम्भ जस्टिस प्रकाश टाटिया, अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग के उद्बोधन द्वारा 21 मार्च, 2017 को किया गया।

24 नवम्बर, 2016 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी** घोषित किये जाने के उपरांत राजस्थान पुलिस अकादमी और बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रही है। अकादमी परिवार द्वारा इस ओर किए जा रहे प्रयास स्वागत योग्य हैं।

जय हिन्द।

राजीव दासोत
निदेशक

समारोह पूर्वक मनाया गया गणतन्त्र दिवस

''आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, हम वो पीले पत्ते नहीं जो झड़ जाऐंगे'' यह उद्‌गार श्री राजीव दासोत, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने **68वें गणतन्त्र दिवस** पर व्यक्त किये। राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षुओं की टोलियों ने विपरीत मौसम में शानदार परेड का प्रदर्शन करते हुए इसी जज़्बे को व्यक्त किया।

इस अवसर पर श्री दासोत ने अकादमी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा प्रशिक्षुओं को आत्मावलोकन करने तथा अकादमी को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का आह्‌वान किया। उन्होंने पिछले कुछ समय से अकादमी द्वारा अर्जित उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बेहतर को ओर बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सभी को प्रेरित किया। उन्होंने गणतन्त्र दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हुए 1930 से 1950 तक के संविधान के सफर की जानकारी दी। उन्होंने भारत की एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने के लिए अपने कर्त्तव्य का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से करने हेतु सभी को प्रेरित किया।

इस अवसर पर निदेशक महोदय ने 2 जनवरी से 10 जनवरी तक NPA हैदराबाद में आयोजित **अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता** में 4 स्वर्ण तथा एक कांस्य पदक सहित **सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार** का पुरस्कार जीतने वाले **श्री भागचंद कानि. नं. 1278** को प्रशंसा पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर अकादमी के ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बैण्ड प्रशिक्षुओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी।

साइबर क्राइम पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजस्थान पुलिस प्राथमिकताऐं–2017 के अनुसरण में राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 20.02.2017 से 03.03.2017 तक **इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम केसेज** विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम **नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद** व **सी–डेक हैदराबाद** की ख्यातनाम फैकल्टी द्वारा सम्पन्न कराया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में अपने उद्‌बोधन में महानिदेशक पुलिस श्री मनोज भट्ट ने पुलिस अधिकारियों को आह्‌वान किया कि देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए साइबर अपराधों से पूरी दुनियां के बुद्धिजीवी, शासक, प्रशासक, पुलिस संगठन एवं जांच एजेन्सियां चिन्तित हैं। उन्होंने कहा कि साइबर दुनिया में घटित हो रहे अपराधों को रोकने के लिये नये तकनीकी उपाय खोजने की आवश्यकता है।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि देश की आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति के साथ–साथ जाली क्रेडिट कार्ड, शेयर मार्केट, इन्टरनेट एवं अन्डरवर्ल्ड से जुड़े हवाला कारोबार जैसे अनेक प्रकार के अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इनसे निपटने के लिये इस प्रकार की कार्य योजना तैयार करनी होगी कि ''साइबर धोखाधड़ी'', ''लेखांकन में व्यावसायिक घराने द्वारा धोखाधड़ी'', ''क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी'', ''बैकिंग धोखाधड़ी'', ''सामान्य बीमा धोखाधड़ी'', ''हवाला कारोबार'' एवं ''फर्जी कम्पनियों तथा मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनियों के द्वारा धोखाधड़ी'' के मामलों को रोक कर उनसे निपटते हुए साइबर अपराधियों को पकड़ने हेतु पुलिस अधिकारियों को विभिन्न एजेन्सियों से तालमेल एवं समन्वय कर आमजन को भी जागरूक करने की जरूरत है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम केसेज विषय का 7वां प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन कोर्सेज में अब तक अकादमी द्वारा लगभग 210 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि कोर्स में राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिलों से आये कुल 41 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। कोर्स के दौरान प्रतिभागियों को विषय पर तकनीकी ज्ञान के अलावा राईट ब्लोकर की मदद से संदिग्ध हार्डवेयर की हैश वैल्यू निकालना, इमेज बनाना, इमेज का डेटा विश्लेषण करना, विभिन्न फोरेन्सिक टूल्स् की मदद से संदिग्ध हार्डवेयर का डिलीट किया हुआ डेटा रिट्रीव करना, कॉलडिटेल का विश्लेषण करना, इलेक्ट्रोनिक्स साक्ष्य को जब्त कर सील करना आदि का अभ्यास भी करवाया गया।

उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम के प्रशिक्षण हेतु म्यांमार पुलिस भी अपने पुलिस अधिकारियों को आरपीए जयपुर में प्रशिक्षण दिलवाने के लिये विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव भिजवा चुकी है।

समापन समारोह में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, स्टेट क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो श्री कपिल गर्ग तथा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण श्री नंद किशोर भी उपस्थित रहे।

मानवाधिकार प्रशिक्षण पर पुलिस अकादमी में कार्यशालाएं

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सौजन्य से राजस्थान पुलिस अकादमी में मानवाधिकार विषय पर तीन पृथक–पृथक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस क्रम में 17 जनवरी 2017 को **'बेसिक ट्रेनिंग ऑन ह्यूमन राईट्स'**, 14–15 फरवरी 2017 को दो दिवसीय **'एडवान्स लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम'** तथा 21–23 मार्च 2017 को मानव अधिकार पर **'ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स'** प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानव अधिकार विषय पर विशेषज्ञता रखने वाले वक्ताओं को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपने अनुभव व ज्ञान के आधार पर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के **अध्यक्ष, जस्टिस प्रकाश टाटिया** ने मानव अधिकारों को सभी कानूनों से ऊपर बताते हुए पुलिस अधिकारियों को मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मानवता की भावना मानव अधिकारों के संरक्षण की नींव है। पुलिस कानून प्रवर्तन कराने वाली एक प्रमुख एजेंसी है, जिससे मानवाधिकार संरक्षण में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम उनकी भूमिका की व्याख्या करने तथा उन्हें इनके प्रति संवेदनशील बनाने में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कानून के दायरे में रह कर कार्य करने की बात कही। जस्टिस टाटिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि मानवाधिकारों की कोई स्पष्ट व स्वीकार्य परिभाषा नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति रहती है।

इन कार्यशालाओं में कर्नाटक व मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश व राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एन. के. जैन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य एवं भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक श्री एम.के. देवराजन, राजस्थान राज्य महिला आयोग की भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती लाड कुमारी जैन, भूतपूर्व महानिरीक्षक पुलिस सर्वश्री एम. एम. अत्रे, श्री गिरधारी लाल शर्मा, श्री आनन्द वर्द्धन शुक्ला तथा श्री आर.के. सक्सेना जैसे विषय विशेषज्ञों ने पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।

सेवानिवृत्त अधिकारियों के अतिरिक्त श्री बी.एल. सोनी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस व श्री सौरभ श्रीवास्तव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने पुलिस अधिकारियों को अपने कर्त्तव्य पालन के दौरान मानवाधिकार संरक्षण के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी दी।

राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सौजन्य से आयोजित किये जा रहे इन कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि इन प्रशिक्षणों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकार विषय की पूर्ण जानकारी मिले तथा वे इस विषय से सम्बन्धित सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षों को समझकर अपने कर्त्तव्य का भली प्रकार निर्वहन कर सकें।

इन तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 108 पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है जो अपने अपने जिलों तथा यूनिटों में मानवाधिकार विषय पर नोडल अधिकारियों के रूप में काम करेंगे तथा अपने साथी अधिकारियों तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस विषय पर जानकारी देकर मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे।

इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ओफेंसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 21.03.2017 से 25.03.2017 तक **'इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज'** विषय पर पाँच दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 12 निरीक्षक पुलिस एवं 16 उप निरीक्षक पुलिस स्तर के कुल 28 अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के दौरान श्री एम.एम. अत्रे ने धोखाधड़ी, अपराधिक दुर्विनियोग, अपराधिक न्यास भंग आदि के अपराधों के बारे में विस्तार से बताते हुए अनुसंधान के दौरान लिये जाने वाले साक्ष्य तथा ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में बताया। श्री आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने डिजीटल साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री आर.एस. बत्रा, आर.ए.एस. (सेवानिवृत) ने जमीन संबंधी विवादों के संबंध में व्याख्यान दिया गया। श्री मिलिंद अग्रवाल, साइबर विशेषज्ञ द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले आर्थिक अपराधों, बैकिंग एवं वित्तीय अपराधों के अनुसंधान के बारे में बताया गया। श्री नीरज माथुर ने ऑन लाइन बैंकिग अपराधों के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने तथा अनुसंधान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। श्री आर.सी. शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आर्थिक अपराधों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों के नियंत्रण हेतु अपनाई जाने वाली कार्य योजना के बारे में बताया। श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस ने मोबाईल फोन व इन्टरनेट के उपयोग से आर्थिक अपराधों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्रित करने एवं इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान के दौरान ध्यान देने योग्य बातों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक ने मादक द्रव्य एवं स्वापक औषधि अधिनियम में वित्तीय अनुसंधान पर व्याख्यान दिया।

कोर्स के समापन सत्र में श्री डी.सी. जैन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(सतर्कता), राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रतिभागियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों में अनुसंधान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए अनुसंधान अधिकारियों को इस प्रकार के अपराधों में विशेषज्ञों से प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी करने के पश्चात् अनुसंधान में आगे बढ़ने का सन्देश दिया। कोर्स के समापन पर उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किये।

इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 06.03.2017 से 10.03.2017 तक **'इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स'** विषय पर पाँच दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 14 निरीक्षक पुलिस एवं 23 उप निरीक्षक पुलिस स्तर के कुल 37 अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के प्रारम्भिक सत्र में श्री अशोक गुप्ता, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जयपुर ने संगठित अपराध को परिभाषित करते हुए इसके वर्तमान स्वरूप पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। श्री एम.एम. अत्रे ने धोखाधड़ी एवं अन्य प्रकार के संगठित अपराधों की विस्तृत व्याख्या करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के दौरान ध्यान में रखी जाने वाली बातों के बारे में बताते हुए गिरफ्तारी की प्रक्रिया एवं नवीनतम् संशोधनों के बारे में बताया। श्री आर. एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने विभिन्न प्रकार के संगठित अपराधों में डिजीटल साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री मिलिंद अग्रवाल, साइबर विशेषज्ञ द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले संगठित अपराधों में एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी एवं इस प्रकार के अपराधों में साक्ष्य संकलन के बारे में बताया। श्री आर.सी. शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आर्थिक अपराधों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों के नियंत्रण हेतु अपनाई जाने वाली कार्य योजना के बारे में बताया। श्री परमेन्द्र सिंह, निरीक्षक पुलिस, एस.सी.आर.बी., जयपुर ने मोबाईल फोन व इन्टरनेट के उपयोग से संगठित अपराधों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्रित करने एवं इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान के दौरान ध्यान देने योग्य बातों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर, ने मादक पदार्थों की तस्करी एवं नारको टेरेरिज्म के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान विधि पर व्याख्यान दिया।

श्री विवेक श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, जयपुर ने मनी लॉडरिंग को परिभाषित करते हुए इसके खतरों एवं इस प्रकार के अपराधों के अनुसंधान के दौरान ध्यान में रखी जाने वाली बातों के बारे में बताया। श्री शान्तनु कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एटीएस, जयपुर ने संगठित अपराधों, माफिया गैंग, हवाला कारोबार आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए अनुसंधान की प्रक्रिया बतायी। श्री रेवन्तदान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी सीबी, जयपुर ने फिरोती के लिए किये जाने वाले अपहरण एवं राजमार्ग डकैती की घटनाओं के बारे में केस स्टडी प्रस्तुत की।

कोर्स के समापन सत्र में श्री राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ए.एच.टी., राजस्थान, जयपुर ने शिरकत की तथा संगठित अपराधों की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए अनुसंधान अधिकारियों को ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातों के बारे में बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र भी वितरित किये।

"इन्टेरोगेशन टेक्निक्स"

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में बी.पी.आर. एण्ड.डी. के सौजन्य से **"इन्टेरोगेशन टेक्निक्स"** विषय पर 05 दिवसीय कोर्स दिनांक 16.01.2017 से 20.01.2017 तक आयोजित किया गया है। इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 23 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई।

कोर्स के दौरान श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक (विशिष्ठ कोर्स एवं सीओई) ने इन्टेरोगेशन टेक्निक्स के विभिन्न विकल्पों के बारे बताते हुए इन्टेरोगेशन टेक्निक्स की एसओपी के बारे में जानकारी दी। श्री संजीव नैन, सहायक निदेशक (प्रशासन), आरपीए, जयपुर ने पूछताछ के दौरान डूज एण्ड डोन्ट्स पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री वी.एन. माथुर, सेवानिवृत्त डायरेक्टर, एफएसएल, जयपुर ने डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानकारी प्रदान की। श्रीमती रेणुका पामेचा, सेवानिवृत्त उप प्राचार्य कानोडिया गर्ल्स कॉलेज, जयपुर एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता ने इन्टेरोगेशन टेक्निक्स के सन्दर्भ में पूछताछ के दौरान मानवाधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री योगेन्द्र जोशी, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रोल ऑफ फीलिंग्स एण्ड इमोशन्स के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री आर.एस. शर्मा से.नि. सहायक निदेशक, एफ.एस.एल., जयपुर ने इन्टेरोगेशन टेक्निक्स में डॉक्यूमेन्ट एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन की अद्यतन वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी।

श्री जी. एल. शर्मा से.नि. पुलिस महानिरीक्षक ने इन्टेरोगेशन टेक्निक्स के मामलों में अपने सम्पूर्ण सेवा काल के अनुभव का सिंहावलोकन प्रस्तुत कर विधिक तकनीकों की सम्पूर्ण जानकारी दी। श्री धनपत सांखला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.), जयपुर ने अच्छे पूछताछकर्ता के गुणों के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने मोबाईल फोन व इन्टरनेट के उपयोग, सीडीआर एनेलेसिस आदि की इन्टेरोगेशन टेक्निक्स में उपयोगिता पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। डा. श्री अमिताभ दुबे, सीनीयर प्रोफेसर साइकियाट्रिक, एसएमएस हॉस्पीटल, जयपुर ने साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ऑफ ए क्रिमीनल एण्ड बॉडी लैंग्वेज विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने इन्टेरोगेशन टेक्निक्स के विधिक प्रावधानों पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री महेन्द्र पीपलीवाल, एपीपी, आरपीए, जयपुर ने इन्टेरोगेशन टेक्निक्स के सन्दर्भ में अलग–अलग क्षेत्रों में माफिया ऑपरेशन, हवाला लेन–देन आदि पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने प्रिपरेशन ऑफ इन्टेरोगेशन रिपोर्ट पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

प्रशिक्षण के समापन–समारोह में श्री राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, जयपुर पधारे जिन्होंने पूछताछ में धैर्य तथा विषय की पूर्ण जानकारी को आवश्यक बताया तथा किसी भी मामले की सफलता में पूछताछ का अतिशय महत्व बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र भी वितरित किये।

बाल संरक्षण पर बूंदी में प्रशिक्षण

बाल सरंक्षण विषय पर राजस्थान पुलिस अकादमी एवं यूनिसेफ के सौजन्य से दो दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 9 एवं 10 फरवरी 2017 को बूंदी जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण में जिले के पुलिस अधिकारियों सहित किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति एवं विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के 50 सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के उदघाट्न सत्र में श्री राजेन्द्र वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बूंदी ने बाल श्रम एवं बाल विवाह की समस्या का समाधान सभी की साझी जिम्मेदारी बताते हुए बच्चों से सम्बन्धित प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही कर तुरन्त न्याय दिलाने की आवश्यकता बताई। श्री यदुराज शर्मा, सलाहकार यूनिसेफ में बाल अधिकारों में मानव अधिकारों को समाहित करने की आवश्यकता बतायी।

श्री विद्यानन्द, एसीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर चर्चा करते हुए विविध प्रावधानों की जानकारियां दी। उन्होंने किशोर न्याय व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों, बोर्ड के अधिकार, जघन्य अपराधों एवं सामान्य अपराधों का निर्धारण इनकी जांच एवं जमानत सम्बन्धी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की।

श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत देखरेख एवं संरक्षण वाले बालकों के लिए कानून में प्रावधानों से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया तथा बाल कल्याण समिति द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली की जानकारी दी। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक ने बाल तस्करी पर चर्चा करते हुए पीड़ित के सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का उल्लेख करते हुए उन पर पड़ने वाले शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों पर प्रकाश डाला।

श्रीमती अनुकृति उज्जेनियां सहायक निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने महिला एवं बाल डेस्क की अवधारणा एवं इसकी कार्यवाही पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पीड़ित को पुनर्वास के साथ–साथ परामर्श की भी आवश्यकता होती है, जो उसके सामान्य होने तक दी जानी चाहिए। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम 2012 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण के समापन सत्र में श्री नरेश ठकराल, जिला कलेक्टर, बूंदी पधारे जिन्होंने बच्चों से सम्बन्धित प्रकरणों में विशेष संवेदनशीलता की आवश्यकता बतायी। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, परामर्श आदि सभी का विशेष महत्व बताते हुए किसी की भी उपेक्षा को बच्चे के भावी जीवन के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने सभी सम्बन्धित पक्षों को बच्चों के हित में विशेष ध्यान देने पर बल दिया।

समुदाय सम्पर्क समूह की पुलिस कार्य में भूमिका

पुलिस कार्यवाही को जन स्वीकृति प्राप्त होना परिपक्व प्रजातंत्र की पहली आवश्यकता है। पुलिस कार्य में जनता की भागीदारी एवं सक्रिय भूमिका लम्बे समय तक सीमित रही है। पुलिस कार्यवाही में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 55 में सी.एल.जी. को विधिक स्वरूप प्रदान करते हुए यह उपबन्ध किया गया है कि जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस बल की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से गठित कर एक या अधिक समुदाय सम्पर्क समूह विहित रीति से गठित करेगा। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी समुदाय सम्पर्क गठित करने की व्यवस्था की गई है। सी.एल.जी. सदस्यों का कार्य पुलिस व जनता की समस्याओं पर विचार कर उनका उचित समाधान करने का प्रयास करना है तथा पुलिस एवं जनता के बीच दूरी कम कर पीड़ितों को त्वरित न्याय, समाज में शान्ति व्यवस्था, आपसी भाईचारा एवं सद्भाव कायम करने में सहायता करना है। सीएलजी समय–समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान में सकारात्मक रूख अपनाकर जनता को पुलिस से सहयोग प्रदान करने के लिए तथा पुलिस व जनता के मध्य विश्वास कायम करते हुए गरीब व समाज में पिछड़ें लोगों को उचित न्याय दिलाने में सहयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है।

वस्तुतः जनता का सहयोग पुलिस के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। राजस्थान पुलिस में जनता एवं पुलिस के सहयोग की शुरूआत विशेष रूप से वर्ष 1989 में नागरिक समितियों के गठन द्वारा हुई थी। वर्ष 2001 में पुलिस मुख्यालय द्वारा सी.एल.जी के गठन हेतु विस्तृत स्थाई आदेश संख्या 4/2001 जारी किया गया। वर्ष 2004 में पुलिस जनसहभागिता के माध्यम से पुलिस व जनता में बेहतर समन्वय के उद्देश्य से विस्तृत आदेश जारी कर पुलिस कार्य में जनता से सहयोग प्राप्त करने पर बल दिया गया। स्थाई आदेश संख्या 2/2007 के द्वारा सी.एल.जी. की भूमिका को रेखांकित करते हुए समूह के गठन, सदस्यता, चयन प्रक्रिया एवं कार्यकाल के बारे में विस्तृत आदेश जारी करते हुए सी.एल.जी. सदस्यों के दायित्व निर्धारित किये गये। उक्त आदेश में समझौता करवाने की प्रक्रिया एवं समझौते की प्रक्रिया के दौरान सावधानी रखने योग्य बिन्दुओं का विस्तार से खुलासा किया गया। उक्त आदेश में सी.एल.जी. की मीटिंग, मोनिटरिंग, प्रशिक्षण आदि पर प्रकाश डालते हुए सी.एल.जी. के कार्य की समीक्षा के उपबन्ध भी किये गये। पुलिस कार्य में जनता की भागीदारी बढ़ाने को ही पुलिस के प्रजातंत्रिकरण का आगाज कहा जा सकता है। पुलिस की जनता से दूरी पुलिस के सामन्ती अवशेष होने को रेखांकित करता है।

समुदाय सम्पर्क समूह के गठन के पश्चात् इसकी कार्य प्रणाली पर अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाये जाते रहे हैं। कुछ अधिकारियों के अनुसार सी.एल.जी. में किसी थाना अधिकारी के विशेष रूप से नजदीक व्यक्ति ही स्थान पा सकते हैं। उनके अनुसार आम नागरिक को पुलिस कार्य से कोई सरोकार नहीं है। कुछ अधिकारियों के अनुसार सी. एल.जी. में अवैध कार्य करने वाले व्यक्ति स्थान पा लेते हैं। सी.एल.जी. सदस्यों की गाड़ियों पर पुलिस का स्टिकर लगाकर अवैध लाभ प्राप्त करना, मुकदमों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना, अनुसंधान को प्रभावित करने का प्रयास करना आदि आक्षेप लगाये जाते रहे हैं।

उपर्युक्त आक्षेपों पर निष्पक्ष मंथन किया जाए तो इनमें सच्चाई नहीं है, अपितु अपवादों को प्रमुखता दी जा रही है। जहाँ तक सी.एल.जी. सदस्यों को किसी थाना अधिकारी के नजदीकी व्यक्तियों का समूह मानने की बात है, इसमें दोष चयनकर्ता का है। सी.एल.जी. सदस्यों की भूमिका को राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 14 में विस्तार से रेखांकित किया गया है, जिसमें उनका प्रमुख कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व पुलिस समुदाय संबंध सुधारने में सहायता करना, लोगों द्वारा पुलिस से संबंधित समस्याओं को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष लाना और समाधान खोजने में सहायता करना, अपराधियों को पकड़ने में और अपराध निवारण उपायों में पुलिस की सहायता करना, जन चेतना कार्यक्रम आयोजित करना, अपराध संबंधी आसूचना के संग्रहण में पुलिस की सहायता करना, किसी भी ऐसी घटना, जिससे लोक शांति प्रभावित होने की संभावना हो, गश्ती कांस्टेबल या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के ध्यान में लाना, अपने क्षेत्र के भीतर किसी भी पुलिस अधिकारी के कदाचार से उसके वरिष्ठों को अवगत कराना, साम्प्रदायिक सौहार्द, विधि और

व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की सहायता करना, साम्प्रदायिक तनाव, धार्मिक उत्सवों, जुलूसों, रेलियों एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता करना एवं अन्वेषण में और सामान्य पुलिस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है।

सी.एल.जी का सदस्य मनोनीत करने के लिए यह निर्धारित किया गया है कि वह न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए तथा उसके विरुद्ध कोई दाण्डिक अपराध दर्ज, अन्वेषणाधीन एवं विचारण में नहीं होना चाहिए। किसी राजनैतिक दल या उसके सहबद्ध दल का सदस्य होने, आपराधिक क्रिया कलापों में अन्तर्वलित होने का सन्देह होने या अपराधियों के साथ सहयोजन होने या सम्पति और भूमि विवादों और अन्य वादकरण में अन्तर्वलित होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को सी.एल.जी. का सदस्य नहीं बनाने के संबंध में राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 12(5) में व्यवस्था दी गई है। उपर्युक्त परिस्थितियों के होते हुए भी किसी व्यक्ति के सी.एल.जी. सदस्य बन जाने के पश्चात् भी नियम 13(4) के तहत पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी सी.एल.जी. सदस्य को, लेखबद्ध किये जाने वाले किसी कारण से उसको अयोग्य समझने पर किसी भी समय हटा सकता है।

समुदाय सम्पर्क समूह के माध्यम से पुलिस थाना अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी इलाके के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से तुरन्त सम्पर्क में आ जाते हैं। इन व्यक्तियों के माध्यम से उन्हें इलाके की प्रमुख समस्याओं की जानकारी के साथ ही इलाके में शान्ति भंग करने वाले व्यक्तियों एवं कारकों की तुरन्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। वे जनता में अच्छे संबंधों के माध्यम से एक कुशल सूचना तन्त्र विकसित कर सकते हैं, जो पुलिस कार्य में सफल होने के लिए अतिशय आवश्यक है। जनता में समुदाय सम्पर्क समूह का सदस्य बनने वाला प्रत्येक व्यक्ति एकदम निष्पक्ष एवं कारगर नहीं हो, तो भी बड़ी संख्या में लोगों से जुड़ने, उनकी बातें सुनने, जनता से जुड़े मसलों का समाधान निकालने से हमें अपने आप बहुत सारी वास्तविक समस्याओं एवं उनके विकल्पों की जानकारी प्राप्त होती है। यह जानकारी हमारे दैनिक पुलिस कार्य में काम आती है तथा हमारे कार्य को आसान बनाती है। पुलिस के अच्छे कार्यों की जानकारी भी समुदाय सम्पर्क समूह के माध्यम से जनता तक पहुँचाई जा सकती है।

हमारे देश के विभिन्न न्यायालयों में तीन करोड़ से अधिक मामले लम्बित हैं। छोटे मामलों को न्यायालय के बाहर समुदाय सम्पर्क समूह के माध्यम से समझौता करवाकर न्यायालय के कीमती समय को बचाया जा सकता है। इस प्रक्रिया से न्यायालय अनावश्यक प्रकरणों में नहीं उलझ कर प्रकरण, जिनमें त्वरित न्याय की आवश्यकता हो, पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं। न्याय प्राप्त होने में विलम्ब होने से लोगों का व्यवस्था में विश्वास कम होता है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुचित है।

पुलिस ने अनेक प्रयोगों के माध्यम से जनता में अपनी छवि सुधारने एवं जनता के मध्य सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है। जनता में पुलिस की निष्ठुर एवं लापरवाह होने की छवि धीरे–धीरे कम होने लगी है। पुलिस के प्रति जनता का सकारात्मक नजरिया हमारे व्यवहार पर अत्यधिक निर्भर करता है। जब तक पुलिस जनता को और जनता पुलिस को पराया समझेगी तब तक सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण सम्भव नहीं है। एक दूसरे के प्रति विश्वास का सेतु ईमानदार परिस्थितियों के निर्माण से ही सम्भव है। समुदाय सम्पर्क समूह इसमें अहम् भूमिका निभा सकते हैं। पुलिस को भी चाहिए कि अत्याधिक विवादित मामलों में, जहाँ पुलिस की छवि धूमिल हुई हो, समुदाय सम्पर्क समूह की मीटिंग आयोजित कर समस्त घटना को तथ्यों सहित उनके समक्ष पेश कर स्थिति स्पष्ट करे। इस प्रक्रिया से पुलिस कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही का समावेश होगा। जवाबदेही एवं पारदर्शिता प्रजातंत्र के प्रमुख आधार हैं। पुलिस कार्यवाही में इनके समावेश से कार्य में ईमानदारी, निष्पक्षता एवं सही अनुसंधान करने की प्रवृति विकसित होगी।

यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि पुलिस जनता के लिए है तथा जनता पुलिस के लिए है। पुलिस का कार्य जनता के सहयोग से आसान बनता है यह कहना गलत नहीं है कि पुलिस कार्यवाही को जन स्वीकृति प्राप्त होने पर पुलिस में प्रजातांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रवृति बढ़ेगी। पुलिस जितना अधिक प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं परम्पराओं को आत्मसात करेगी, उतना ही उसे जन समर्थन एवं सहयोग प्राप्त होगा। समुदाय सम्पर्क समूह परिपक्व प्रजातंत्र की महत्ती आवश्यकता हैं।

— **जगदीश पूनियाँ,** उप अधीक्षक पुलिस

राजस्थान पुलिस अकादमी को बीसलपुर परियोजना से जलापूर्ति योजना का लोकार्पण

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को बीसलपुर परियोजना से जलापूर्ति योजना का लोकार्पण **श्री गुलाबचन्द कटारिया, गृहमंत्री, राजस्थान सरकार** द्वारा एक भव्य समारोह में दिनांक 21 जनवरी 2016 को किया गया। परियोजना की कुल लागत लगभग 19.71 करोड़ रूपये है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में पुलिस जवानों व अधिकारियों हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी के साथ–साथ आवासीय परिसर में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु 1,809 आवासीय क्वार्टर भी स्थित हैं, जिनमें पुलिसकर्मियों व उनके परिवारों के लगभग 10,000 व्यक्ति निवास करते हैं। इन आवासों हेतु पूर्व में नलकूपों द्वारा जल वितरण किया जा रहा था। उक्त परियोजना के पूर्ण हो जाने से राजस्थान पुलिस अकादमी के परिसर में बने हुए सभी 1809 आवासों, प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावासों, कार्यालय भवन, स्विमिंग पूल, स्टेडियम आदि लाभान्वित हुए है।

इस जलापूर्ति योजना से लगभग **40 लाख लीटर पानी की आपूर्ति प्रतिदिन** की जायेगी। योजना के अन्तर्गत अमानीशाह हैड वर्क्स पर एक पम्प हाउस बनाया गया है जिससे पानी को 300 एमएम डीआई पाईप लाइन के द्वारा आर.पी.ए. परिसर में नवनिर्मित 1350 केएल के स्वच्छ जलाशय में लाया जायेगा। आर.पी.ए. परिसर में एक पम्प हाउस का निर्माण किया गया है, जिससे कि आर.पी.ए. परिसर को 5 उच्च जलाशयों, 3 स्वच्छ जलाशयों, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम आदि में पानी पहुँचाने हेतु अलग–अलग पम्प लगाये गये हैं जिनसे इन जलाशयों में पानी पहुंचाया जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन से भूमिगत जल स्त्रोतों से जल दोहन रोका जा सकेगा एवं बीसलपुर योजना से शुद्ध पेयजल मिल सकेगा।

इस योजना के उद्घाटन से राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में रह रहे लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों तथा उनके परिजनों तथा लगभग 1,000 प्रशिक्षुओं में हर्ष की लहर दौड़ गई तथा उन्होंने राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

नवीन परिवहन शाखा भवन का शुभारंभ

राजस्थान पुलिस अकादमी में लम्बे समय से परिवहन शाखा का संचालन टीन शेड में चल रहा था। वाहनों के लिए पर्याप्त छाया नहीं थी। चालक व अन्य एमटी स्टाफ मात्र एक कमरे में काम चला रहे थे। उनकी आवश्यकता को देखते हुए कल्पतरू नर्सरी के पास खाली स्थान पर आधुनिक परिवहन भवन का निर्माण करवाया गया है। चालक व अन्य स्टाफ के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बैरिक एवं एमटी कार्यालय का निर्माण किया गया। वाहनों के लिए भी आधुनिक टीन शेड का निर्माण करवाया गया। गणतंत्र दिवस 2016 को परिवहन शाखा को इस नये भवन परिसर में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

अंगदान अभिप्रेरण सत्र

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान पुलिस अकादमी के **नवीनीकृत मुक्ताशी रंगमंच** में अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत की सामाजिक विषयों पर पुलिस कर्मियों को जोड़ने की प्रेरणा से अंगदान पर नवजीवन संस्थान के सौजन्य से एक टॉक शो आयोजित किया गया।

इस अवसर पर श्री दासोत ने नवजीवन संस्थान की टीम का स्वागत करते हुए उनके द्वारा चलाए जा रहे **''अंगदान महादान''** अभियान की प्रशंसा की तथा राजस्थान पुलिस अकादमी में इस विषय पर अकादमी के प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थियों के साथ चर्चा करने की पहल का स्वागत किया। उन्होने अंगदान के महत्व को स्पष्ट करते हुए नश्वर शरीर के अंगों के दान के सर्वोत्तम उपयोग को अंगदान का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताया।

नवजीवन संस्थान की टीम की सदस्या तथा जानीमानी टीवी प्रस्तोता व शिक्षाविद श्रीमती अनीता हाडा सांगवान ने अंगदान को सर्वोत्तम दान बताते हुए अंगदान के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि अंगदान किसी एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् भी कई जिंदगियों को जीवन देने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि अंगदान सभी जाति, धर्म वर्ग आदि से ऊपर उठकर मानवता तथा मानव की सेवा का एक प्रमुख मार्ग

है। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित अकादमी के सभी प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थियों से अंगदान का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने अंगदान के संबंध में अकादमी के निदेशक व अन्य द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए अंगदान के संबंध में सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

लेक्चर थिएटर का आधुनिकीकरण

राजस्थान पुलिस अकादमी में लम्बे समय से मध्यम क्षमता के लेक्चर थिएटर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रशासनिक भवन में 38 वर्ष पूर्व में बने क्लास रूम को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करते हुए उसमें बड़ा स्क्रीन, प्रोजेक्टर, साउण्डप्रुफ वॉल का कार्य, नई फ्लोरिंग के साथ ही एयर कंडिशनिंग एवं पुरानी खिड़कियों को हटाकर आधुनिक एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ लगाई गई हैं। खिड़कियों के उपर धूप रोकने के लिए शीशों पर काली फिल्म एवं आधुनिक पर्दे लगाये गये हैं। इस थिएटर का शुभारम्भ श्री प्रकाश टांटिया, अध्यक्ष राजस्थान मानव अधिकार आयोग के उद्‌बोधन से हुआ। इस लेक्चर थिएटर की क्षमता 140 व्यक्तियों की है।

जयपुर मैराथन एवं कोटा में अकादमी के धावकों ने दिखाया दम

जयपुर को दुनिया का सबसे सुन्दर शहर बनाने के सपने तथा **''ग्रीन जयपुर, स्वस्थ जयपुर''** की थीम पर दिनांक 05.02.2017 को आयोजित की गई **''जयपुर मैराथन''** में राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षुओं ने दमखम दिखाते हुए एक स्वर्ण सहित कुल तीन पदक जीत कर अपनी क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया। इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलैटिक्स फेडरेशन (आईएएएफ), एसोसिएशन ऑफ इन्टरनेशनल मैराथन एण्ड डिस्टेन्स रेसेज (एआईएमडीआर) द्वारा प्रमाणित मार्ग तथा अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित इस मैराथन में पूरे भारत तथा 20 देशों के हजारों धावकों ने भाग लिया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत की प्रेरणास्वरुप अकादमी के प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षुओं ने भी भाग लिया।

दिनांक 06.02.2017 को आयोजकों द्वारा विभिन्न आयु वर्गो के घोषित परिणामों के अनुसार इस मैराथन में 45 से 55 वर्ष आयु वर्ग (पुरुष) में श्री जितेन्द्र कुमार, आर.पी.ए. प्रशिक्षक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 घण्टा 35 मिनट 29 सैकेण्ड के समय में हॉफ मैराथन (21.097 किमी.) पूरी करते हुए **प्रथम् स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया।** इसी प्रकार 18 से 25 आयु वर्ग (महिला) में अकादमी की प्रशिक्षु आरक्षी रीनू जाट ने 1 घण्टा 50 मिनट 5 सैकेण्ड के समय में हॉफ मैराथन पूरी कर द्वितीय स्थान प्राप्त कर **रजत पदक** जीता। 26 से 35 आयु वर्ग (महिला) में अकादमी की प्रशिक्षु आरक्षी कुसमा कंवर ने 1 घण्टा 49 मिनट 33 सैकेण्ड के समय में हॉफ मैराथन पूरी कर द्वितीय स्थान प्राप्त कर **रजत पदक** जीता तथा अकादमी द्वारा दिए गए सघन प्रशिक्षण की सार्थकता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया।

इसी प्रकार नागरिकों में स्वास्थ्य जागरूकता के

उद्देश्य से दिनांक 19.02.2017 को कोटा में आयोजित **10 किलोमीटर दौड़ में** भी अकादमी के प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षुओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए **दो स्वर्ण, एक रजत एवं एक कास्य पदक जीता।** सर्विस वर्ग पुरूष में 45 वर्ष से कम आयु वर्ग में प्रशिक्षु श्री रामपाल कान्स्टेबल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर **स्वर्ण पदक** मय 10,000 का नकद ईनाम प्राप्त किया। महिला वर्ग में कुसमा कंवर ने प्रथम स्थान प्राप्त कर **स्वर्ण पदक** मय 10,000 रूपये का नकद ईनाम प्राप्त किया तथा रीनू जाट ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर **रजत पदक** मय 5,000 रूपये का नकद ईनाम प्राप्त किया। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में प्रशिक्षक श्री जितेन्द्र कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त कर **काँस्य पदक** मय 1,000 रूपये का नकद ईनाम प्राप्त किया। उपरोक्त सभी विजेताओं को श्री राजीव दासोत, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी ने भी पृथक से प्रशंसा पत्र एवं नकद ईनाम प्रदान कर सम्मानित किया।

Your Competitors can
Copy your work,
Your style or your Procedure.
But none can copy your
PASSION.
"Be Passionate"

अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस का अभूतपूर्व प्रदर्शन

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में दिनांक 02.01.2017 से 10.01.2017 तक आयोजित की गई **'35वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता'** में राजस्थान पुलिस की टीम नें अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की टीमों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस टीम ने विभिन्न प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेते हुए **चार स्वर्ण, तीन रजत व तीन काँस्य** पदक सहित कुल दस पदक जीते हैं। इसके साथ ही इस टीम ने **चार ट्रॉफियां** एवं **दो विशिष्ट पदक** भी हासिल किये हैं।

राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में केन्द्रीय पुलिस संगठनों एवं विभिन्न राज्यों की कुल 18 टीमों एवं 260 घोड़ों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन **श्री विजय गोयल, केन्द्रीय युवा एवं खेल मंत्री,** भारत सरकार द्वारा किया गया था। राजस्थान पुलिस की टीम राजस्थान पुलिस अकादमी में एकत्रित एवं प्रशिक्षित होकर इस प्रतियोगिता के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रही थी। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत निरन्तर इस टीम की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनकी प्रेरणा एवं टीम की कड़ी मेहनत का परिणाम सामने आया है।

राजस्थान पुलिस की टीम ने मेडले रिले में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए **सिंथेटिक ट्रॉफी** पर अपना कब्जा जमाया। इस स्पर्द्धा में श्री भागचन्द कान्स्टेबल 1278, श्री बबलू राम कान्स्टेबल 86 एवं श्री राकेश चेजारा कान्स्टेबल 5439 टीम का हिस्सा थे। व्यक्तिगत स्पर्द्धाओं में श्री भागचन्द कान्स्टेबल 1278 ने लगभग क्लीन स्वीप करते हुए शो जम्पिंग ग्रेड, मेंटल हजार्ड टेस्ट, वनडे इवेन्ट नॉविस में स्वर्ण पदक जीतते हुए **डीजी आसाम ट्रॉफी, उत्तरायण ट्रॉफी** एवं **लाला बी.के. देव ट्रॉफी** जीती। इसके साथ ही श्री भागचन्द ने **बेस्ट राईडर** की **मेवाड़ चैलेंज ट्रॉफी** पर भी अपना कब्जा जमाया। उसकी घोड़ी जैनी ने **बेस्ट हॉर्स** की **चेतक ट्रॉफी** जीती। उल्लेखनीय है कि बेस्ट हॉर्स एवं बेस्ट राईडर की ट्रॉफी पहली बार राजस्थान पुलिस के प्रतिभागियों द्वारा जीती गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक अपने नाम कर चुके श्री जितेन्द्र कुमार कान्स्टेबल 98 ने शो जम्पिंग की सबसे

कठिन स्पर्द्धा सिक्स बार में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार **रजत पदक** जीता। श्री बबलू राम कान्स्टेबल 86 ने शो जम्पिंग ग्रेड टॉप स्कोर में तथा श्री विरेन्द्र सिंह कान्स्टेबल 116 ने शो जम्पिंग प्रिलिमिनरी स्पर्द्धा में **रजत पदक** प्राप्त किया।

शो जम्पिंग नॉविस टीम स्पर्द्धा में राजस्थान की टीम ने **कांस्य पदक** हासिल किया। इसके साथ ही श्री मुकेश कुमार सईस ने सईस टेस्ट में तथा श्री बबलू राम कान्स्टेबल ने शो जम्पिंग नॉविस टॉप स्कोर स्पर्द्धा में **कांस्य पदक** प्राप्त किये।

इस प्रतियोगिता के समापन समारोह की मुख्य अतिथि **डॉ. किरण बेदी, उप राज्यपाल, पॉण्डीचेरी** ने राजस्थान की टीम व खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं मेडल प्रदान करते हुए उनके शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। राजस्थान टीम के मैनेजर श्री सुनील कुमार, कम्पनी कमाण्डर, राजस्थान पुलिस अकादमी ने मुख्य अतिथि से ट्रॉफियां प्राप्त की।

राजस्थान पुलिस के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए पुलिस महानिदेशक श्री मनोज भट्ट एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाऐं दी।

बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में बालिका एवं महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत करने व उनके मनोबल को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा प्रारम्भ की गई योजना **''बालिका आत्मरक्षा योजना''** के अन्तर्गत महिला पुलिस प्रशिक्षणार्थियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना को सम्पूर्ण राजस्थान में प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की महिला शारीरिक प्रशिक्षकों को एवं विभिन्न जिलों की महिला पुलिसकर्मियों को **मास्टर ट्रेनर्स** का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिलों में स्कूल एवं कॉलेज में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके। इस प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण में सिखाई गई तकनीकों के माध्यम से महिलाऐं विपरीत परिस्थितियों में समाजकंटकों से अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं।

''बालिका आत्मरक्षा योजना'' का शुभारम्भ उदयपुर में **माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे** द्वारा किया गया। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के सहयोग से शिक्षा विभाग की शारीरिक महिला प्रशिक्षकों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है। महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल व कॉलेज में अध्ययनरत बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण हर जिले में दिलवाये जाने के उद्देश्य से सभी जिला/यूनिट से महिला, पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षक के तौर पर 'ट्रैंनिग ऑफ ट्रेनर्स' का प्रशिक्षण दिलवाये जाने हेतु दो सप्ताह का प्रशिक्षण कोर्स दिनांक 27.01.2014 से प्रारम्भ किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा योजना के प्रारम्भ में पुलिस विभाग की 150 महिला कानिस्टेबल को गहन प्रशिक्षण दिया गया। इन प्रशिक्षकों द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान की बालिकाओं व महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनका सशक्तिकरण किया गया। इस योजना में मास्टर ट्रेनर्स के 6 बैच में कुल 406 मास्टर ट्रेनर्स व रिफ्रेशर कोर्स मास्टर ट्रेनर्स के 3 बैच में कुल 92 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब तक ''बालिका आत्मरक्षा योजना'' के अन्तर्गत कुल 2,07,773 महिलाओं एवं छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

श्री राजीव दासोत, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी व कारगर बनाने के उद्देश्य से नई इजरायली तकनीक ''कर्व मागा'' को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करवाया है।

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	मास्टर ट्रेनर्स के बैच	मास्टर ट्रेनर्स की संख्या
1	महिला कानिस्टेबल मास्टर ट्रेनर्स (आरपीए)	01	150
2	महिला कानिस्टेबल मास्टर ट्रेनर्स (पाली)	01	32
3	शारीरिक महिला प्रशिक्षक बैसिक कोर्स (शिक्षा विभाग)	04	224
4	शारीरिक महिला प्रशिक्षक रिफ्रेशर कोर्स (शिक्षा विभाग)	03	92
	कुल संख्या	**09**	**498**

राजस्थान पुलिस अकादमी में उल्लास से मनाया गया होली का फाग

राजस्थान पुलिस अकादमी के मुक्ताशी रंगमंच में अकादमी का पूरा परिवार तथा प्रशिक्षणार्थी होली महोत्सव पर आयोजित एक रंगारंग कार्यक्रम के साक्षी बने तथा सभी ने इस कार्यक्रम में दी गई प्रस्तुतियों का आनन्द उठाया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम हेतु अकादमी के प्रशिक्षु बैण्ड ने पूरी तैयारी के साथ अपनी प्रस्तुतियां दी।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रुप में श्री सुबेसिंह ने महिलाओं के सम्मान में एक वन्दना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का आगाज किया। अकादमी के प्रशिक्षु लंगा मांगणियार की टीम ने राजस्थानी लोक गायन की प्रस्तुति देते हुए होली का एक लोकगीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध कर दिया।

बैण्ड के सदस्यों ने लगभग 60 वर्ष पुरानी फिल्म मदर इण्डिया के होली गीत '' होली आई रे कन्हाई '' से लेकर लगभग 10 वर्ष पुरानी फिल्म बागबान के होली गीत ''होली खेले रघुबीरा'' की प्रस्तुतियां देकर होली गीतों की प्राचीन तथा नवीन विधाओं को बहुत ही रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया।

निरीक्षक पुलिस की पीसीसी

राजस्थान पुलिस अकादमी में उप निरीक्षक पुलिस से पुलिस निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए 71वें बेच के 94 अधिकारियों का पदोन्नति पाठ्यक्रम दिनांक 30.01.2017 को शुरू हुआ। इस पीसीसी में निर्धारित पदोन्नति पाठ्यक्रम के अनुसार उनकी इण्डोर एवं आउटडोर की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इन अधिकारियों की पीसीसी मध्य अप्रेल तक समाप्त होने की सम्भावना है। राजस्थान पुलिस अकादमी के तीन उप निरीक्षक श्री करण सिंह, श्री राम भँवर एवं श्री सुरेन्द्र पंचौली भी इस पदोन्नति पाठ्यक्रम में शामिल हैं।

आबकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी को आबकारी विभाग के सहायक आबकारी अधिकारी एवं प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक पद के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी प्राप्त हुई। अकादमी द्वारा तीन बैच में कुल 74 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उक्त अधिकारियों के लिए पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में उन्हें सामान्य कानून, दण्ड प्रक्रिया संहिता की उनके प्रयोग में आने वाली धाराएं, आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी प्रदान की गई। आउटडोर में इन्हें पीटी एवं परेड का सामान्य अभ्यास, वर्दी संबंधी नियम एवं योगा सिखलाया गया। यह प्रथम अवसर था जब अकादमी द्वारा आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सेवा निवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की विदाई पार्टी

श्री ठंडी लाल मीना

श्री जसवंत सम्पतराम

श्री सुधाकर जौहरी

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री ठंडी लाल मीना, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस पद से दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हुए। इनके सम्मान में आईपीएस एसोसिएशन द्वारा दिनांक 01.02.2017 को विदाई पार्टी आयोजित की गई। इसी प्रकार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री जसवंत सम्पतराम, महानिदेशक पद से एवं श्री सुधाकर जौहरी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस पद से दिनांक 31.03.2017 को सेवानिवृत्त हुए। इनके सम्मान में आईपीएस एसोसिएशन द्वारा दिनांक 31.03.2017 को विदाई पार्टी अकादमी में आयोजित की गयी। इन अधिकारियों के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों ने शिरकत की तथा सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाऐं दी।

अकादमी से सेवा निवृत्ति पर विदाई

श्री राजेन्द्र कुमार, उप अधीक्षक पुलिस दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत हुए। श्री राजेन्द्र कुमार ने अकादमी में अक्टूबर 2004 से निरन्तर सेवाऐं देते हुए अकादमी की इन्डोर शाखा में कार्य किया। श्री राजेन्द्र कुमार अनुशासन प्रिय अधिकारी रहे हैं। आपको वीआईपी सुरक्षा एवं आसूचना संकलन की विधियों के अध्यापन में विशेष दक्षता प्राप्त थी। आप अकादमी में जून 2016 में आयोजित आरपीए लॉन टेनिस प्रतियोगिता में ओपन सिंगल्स में विजेता रहे। अकादमी परिवार आपके सुखद सेवानिवृत जीवन की कामना करता है।

श्री सुशील पारीक, कार्यालय सहायक अकादमी से दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत हुए। आपने अकादमी की सामान्य शाखा में प्रभारी के रूप में लम्बे समय तक सेवाऐं दी। आपने अकादमी में लगभग 14 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। सेवानिवृत्ति के समय आप अकादमी की महत्वपूर्ण 'सामान्य शाखा' के प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। अपने सरल स्वभाव के कारण श्री सुशील पारीक सभी के प्रिय रहे। आपको सुपुर्द कार्य को आप पूर्ण लगन एवं निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रयास करते थे। अकादमी परिवार आपके सुखद सेवानिवृत जीवन की कामना करता है।

श्री छोटेलाल, सफाई कर्मचारी अकादमी से दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत हुए। श्री छोटेलाल ने अकादमी में 30 वर्ष से अधिक समय तक अपनी सेवाऐं दी है। श्री छोटेलाल अत्यन्त ही कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रहे हैं। आपने अकादमी परिसर में सम्पूर्ण सफाई की देखरेख का कार्य विशेष रूचि से किया। आपकी सेवानिवृति पर बोलते हुए अकादमी निदेशक श्री राजीव दासोत ने राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्तर भारत की श्रेष्ठ अकादमी बनाने में सफाई के माध्यम से श्री छोटेलाल का भी योगदान बताया। अकादमी परिवार आपके सुखद सेवानिवृत जीवन की कामना करता है।

Training Courses conducted during the quarter from 01.01.2017 to 31.03.2017

Basic Training Courses

S.No.	Particulars	Batch No.	No. of trainees	Duration
1	IPS(P)	68	4	13.12.2016 to 21.01.2016
2	Repeaters RPS (Probationer)	47	8	28.02.2017 to 22.03.2017
3	Repeaters Sub Inspector (Probationer)	42	2	14.02.2017 to 18.03.2017
4	PC (RAC) to SI (AP) Induction Course	20	8	19.12.2016 to 04.05.2017
5	Recruit Constable (Lady)	66	189	20.06.2016 to 17.04.2017
6	Constable (Band Professional)	11	56	10.10.2016 to 09.06.2017
7	CISF Constable (Band Professional)	02	30	09.01.2017 to 08.09.2017
			297	

Promotion Cadre Courses

S.No.	Particulars	Batch No.	No. of trainees	Duration
1	Promotion Cadre Course for FC to HC (Band)	06	14	06.02.2017 to 05.06.2017
2	Promotion Cadre Course for HC to SI (Band)	02	1	06.02.2017 to 04.04.2017
3	Promotion Cadre Course for failures HC to ASI	53	1	14.02.2017 to 10.04.2017
4	Promotion Cadre Course for ASI to SI	48	9	23.01.2017 to 27.03.2017
5	Promotion Cadre Course for SI to CI	71	94	30.01.2017 to 02.04.2017
			119	

Special Courses/In-service Courses

S.No.	Particulars	No. of courses	No. of trainees	Sponsored by
1	Investigation of Cyber Crime Cases	2	74	BPR&D In House
2	Investigation of Economic Crime Cases	3	85	BPR&D/In House
3	Interrogation Techniques	1	23	BPR&D
4	Human Right and Police	3	108	NHRC
5	Art of Supervision of Investigation for Senior Officers	1	25	In House
6	Investigation of Organized Crime	2	76	In House
7	Training of Trainers (TOT) on Virtual Police Station	1	27	
8	Course on Child Protection	1	20	UNICEF & CDPSM
9	Social Defence for middle level functionaries of Police	1	34	NISD
			472	

Course for other Departments

1	Self Defence Training for PTI (Education Deptt.)	4	139	Education Deptt.
2	Orientation Course for Excise Deptt. Officers	3	74	Excise Deptt.
			213	

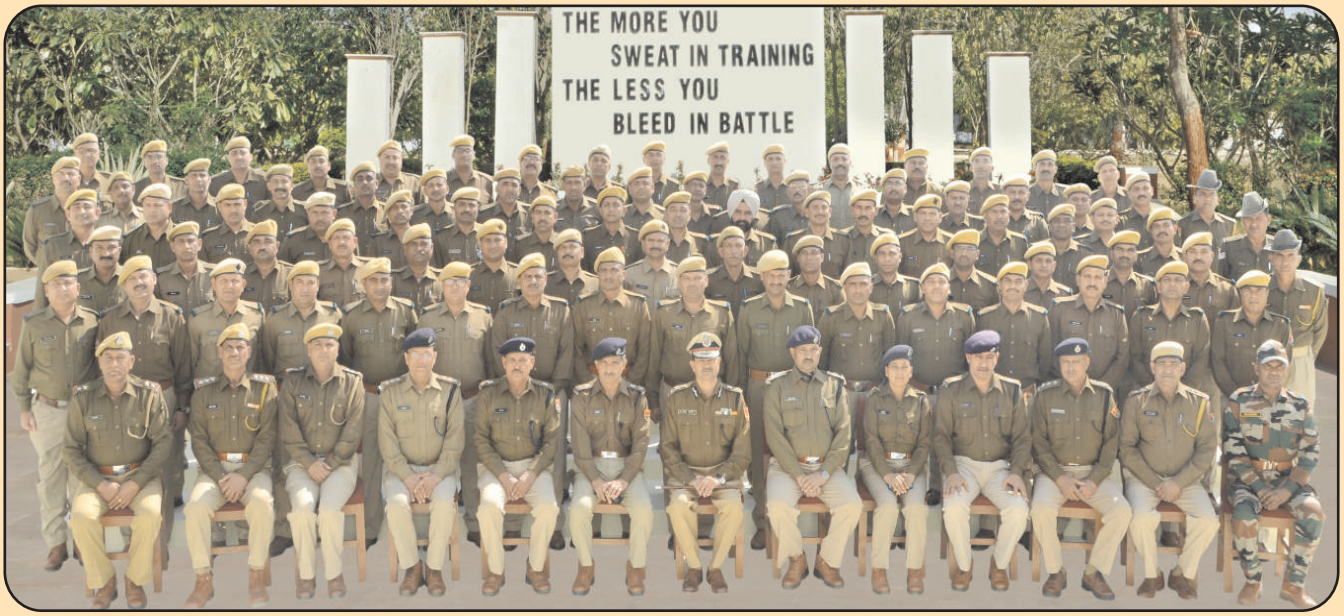

उप निरीक्षक पुलिस से पुलिस निरीक्षक की पी.सी.सी. के प्रशिक्षणार्थी अकादमी फेकल्टी के साथ

Editorial Board

Editor in Chief
Rajeev Dasot, IPS, Director

Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Rajesh Kumar Sharma (DD)
Alok Srivastava (AD)
Sanjeev Nain (AD)
Anukriti Ujjainia (AD)
Dilip Saini (AD)
Dheeraj Verma (Insp.)

Photographs by : Sagar
Typing by : Makhani

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur-302016 (Rajasthan) India
Ph. : +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : director.rpa@rajpolice.gov.in Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Premier # 0141-2295097